(ग) मूल भाषा में लिखी गई पुस्तकों की प्रकाशित कीमत पर 15% और अनूदित पुस्तकों पर 10% की दर पर इन्डिया दि लैंड एंड दि पीपल पापुलरसाइंस, यंग इंडिया लायब्रेरी, फोक लोर आफ इण्डिया एंड नेशनल बायोग्राफी क्रममाला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों के लिए लेखकों को रायल्टी दी जाती है। तथापि, आदान-प्रदान क्रम माला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों के लेखकों को 10% रायल्टी दी जाती है क्योंकि सामान्यतया इस क्रममाला में केवल अनुवाद ही प्रकाशित किए जाते हैं। किसी संस्करण के लिए कुल रायल्टी के 50% को जमानती रायल्टी समझा जाता है और उसे पुस्तक प्रकाशित होने पर तत्काल दे दिया जाता है। न्यास द्वारा नेहरू बाल पुस्तकालय क्रममाला और रीडिन्ग मटीरियल फार निओ-लिट्रेट्स क्रममाला के अंतर्गत मूल संस्करण के लिए एक मुश्त राशि और न्यास द्वारा पुस्तक के प्रत्येक अनुवाद के प्रकाशन पर अतिरिक्त राशि के भुगतान की व्यवस्था है।

Promotion of U.G.C. Officers

3417. SHRI SATCHIDANANDA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Class-I Officers of U.G.C, are not being promoted due to stay grant by Court;

(b) it so, the number of such officers;

(c) the number of SC/ST officers in different grades; and

(d) the action taken by Government to get the stay vacated

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (d) According to the information furnished by UGC, the promotion of 16 Group 'A' Officers of the Commission has been affected by the stay granted by the Delhi High Court. No SC/ST Officers is among those affected by the Stay Order. UGC had impressed upon the Hon'ble High Court to vacate the stay on promotions to avoid dislocation of work in UGC due to vacancies a* different levels. The High Court partially vacated the stay on 30th October, 1991 thereby allowing promotions upto the level of Section Officer.

Appointment of teachers after retirement

3418. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether teachers of universities and colleges, after retirement at the age of 60, are eligible for appointments as Visiting Professors in their respective snbject; if so, upto what age such appointments may be given to retired teachers;

(b) whether such appointments are made on the requests by UGC or by interested universities;

(c) whether the retired teachers are also eligible to apply to UGC for study/research grants on research subjects; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) According to the informationi furnished by UGC, a person who has held the post of a Professor is eligible for appointment as Visiting Professor upto the age of 65 years under the UGC .Scheme of Visiting Professorship. Such appointments are made by the Universities themselves in accordance with the Scheme.

(c) and (d) The retired teachers other than those appointed as Visiting Professors can submit major research projects and if such projects are approved by UGC, they are paid an honorarium @ Rs. 2000/-per month upto the age of 65 years. In addition, financial assistance is also provided for book's, equipment, contingent expenditure, etc.

Air facility to teachers of Kendriya Vidyalaya Part Blair

3419. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Teachers of Kendriya Vidyalaya Port Blair were

deprived of Air Travel facility last summer vacation to visit mainland;

(b) whether it is also a fact that on earlier occasions Central Government employees of Port Blair were allowed Air travel facility;

(c) whether Government have received representations from Kendriya Vidyalaya Teachers Association, Port Blair for re-imbursement of air fare incurred by the teachers in the last summer for their travel to mainland; and

(d) if so, whether Government proposa to consider their request sympathetically, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH); (a) to (d) A representation for reimbursement of air travel espenses incurred by the employees of Kendriya Vidyalaya, Port Blair, during the latt summer vacation has been received in the Ke^iriya Vidyalaya Sangathan which is under examination.

पाठ्यपुस्तकों के लिए मध्य प्रदेश को कागज का आवंटन

3420. **श्री राघवजी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 1990 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये रियायती दरों पर कागज का आवंटन किये जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है और उस निगम की आवश्यकता के अनुरूप रियायती दर पर कागज कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिनांक 31 मार्च, 1990 तक स्कूली पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाएं तैयार करने के लिए सफेद मुद्रण कागज मुहैया करने की आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक योजना थी । तत्पश्चात् इस योजना को समाप्त कर दिया गया था ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों के लेखकों को पारिश्रमिक

3421. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के लेखकों को पारिश्रमिक देने की पद्धति क्या है ;

(ख) क्या पुस्तकों के लेखकों को रायल्टी दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में किन-किन लेखकों को कितनी राशि की रायल्टी की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार, रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारियों के अतिरिक्त रा०शै०अ०प्र०प० की पुस्तकों के लेखकों को पारिश्रमिक/रायल्टी दी जाती है ।

(ख) जी, हां । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सूचित किया है कि बाहर के लेखकों को उनके द्वारा लिखित निर्धारित पुस्तकों के प्रत्येक संस्करण/पुन:मुद्रण पर नियत की गई रायल्टी दी जाती है ।

(ग) विगत तीन वर्षों की सूचना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।